न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 34/17

1. बालाराम पुत्र सोमोत्या जाति कोली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।

अपीलांट

बनाम

1. नवल पुत्र पून्या जाति जाटव निवासी हरिपुरा (मेडी) तहसील वजीरपुर
2. भूरसिह पुत्र नत्थू
3. धर्मा पुत्र मूला
4. रामेश्वर पुत्र सुखीराम जातियान मीना निवासीयान ग्राम मेडी तहसील वजीरपुर
5. तहसीलदार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील वजीरपुर

रेस्पोडेटान

(अपील विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिग्री न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी मु0न0 22/14 निर्णय दिनांक 17.3.15)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री तरूण शर्मा
2. रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से श्री आर.सी.गुप्ता
3. रेस्पो0 2 ता 4 की और से श्री गोपाल लाल शर्मा

निर्णय

दिनांक 30.1.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0न0 22/14 निर्णय व प्राथमिक डिग्री दिनांक 17.3.15 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/वादी ने एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा एवं भूमि विभाजन इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 820 रकबा 32 ऐयर वाके ग्राम हरिपुरा (मेडी) तहत तहसील वजीरपुर स्थित है। जिसमे वादी का 1/6 हिस्सा है तथा 1/5 हिस्सा वादी के भाई बन्धो का था। जिसे सन 1999 मे प्रतिवादी 2 ता 6 ने खरीदकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रजिस्ट्री करा दी और इसलिए प्रतिवादीगण वादी को हैरान परेशान करते है। वादी ने पूर्व मे भी एक दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का किया था। जिसका न0 411/1999 था जिसमे पक्षकारान मे गांव मे राजीनामा हो जाने के कारण वादी ने ध्यान नही दिया और वह अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हो गया। उक्त राजीनामा प्रतिवादीगण ने इस प्रकार हुआ कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हिस्सा ख0न0 869 से सटेवा ले लिये तथा 2/6 हिस्से को छोडकर 1/6 हिस्सा वादी को तथा वादी के बाद 3/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 भूरसिह ने ले लिया और लगभग 17 वर्षो से इसी प्रकार काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी उक्त खेत मे 1/6 हिस्से की सीमाबंदी हो रही है और उसमे 2 पेड शहतूत व बबूल का खडा हुआ है तथा पक्की सीमाबंदी के लिए 2 ट्रक पत्थर भी वादी ने डलवा रखे है। वादी गरीब आदमी है और उक्त गरीबी से तंग आकर वादी ने अपने रकबे को रमेश चंद पुत्र किशोरी मीना के यहॉ गिरबी रखकर कब्जा कर फसल से लाभान्वित होने के लिए बता रखी है। जिसकी कर्ज अदायगी दिनांक 9.6.14 को कर कब्जा वादी ने ले लिया और दिनांक 27.8.14 को वर्षा होने पर वादी ट्रेक्टर लेकर उक्त रकबे को काश्त करने गया तो प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 हाथो मे हथियार लेकर आये और वादी को काश्त करने मे मजाहमत की वादी ने

Scanned by CamScanner

हाथ जोडकर प्रतिवादीगण से कहा कि मै गरीब आदमी हूँ बडी मुश्किल से रमेश की कर्ज अदायगी की है तुम्हारा क्या लेना देना है इस पर काफी आदमी इक्ठठे हो गये और उनको समझाने पर पर आज तो मान गये पर वे कभी भी वादी की उक्त भूमि मे कब्जा कर वादी को बेदखल कर सकते है। प्रतिवादीगण मीना वाहुल्य क्षैत्र के निवासी है सरगना है और वे अपनी बेज़ा हरकतो सें तब तक बाज नही आवेगे जब तक कि उनको वादी के हिस्से से पाबन्द नही कर दिया जाता। अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर का डिग्री किया जावे कि आराजी ख0न0 820 मे से उत्तर दिशा की और आम रास्ता नम्बरी 869 से लगेवा 11 ऐयर भूमि छोडकर 6 ऐयर भूमि का डालकर शेष भूमि बदस्तूर प्रतिवादी न0 1 के नाम रखी जावे तथा प्रतिवादीगण 2 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबन्द फरमाया जावें कि वादी के उक्त खेत ख0न0 820 की 6 ऐयर भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार मजाहमत न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे । इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मिसल के तथ्यो एवं विधि के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने गलत आधारो पर दावा वादी प्राथमिक डिग्री किये जाने मे भारी विधिक भूल की है। दावा वादी धारा 11 सीपीसी से बाधित होने के बाबजूद भी प्राथमिक डिग्री किये जाने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का ने बिना मौके पर गये तथा बिना अपीलांट को सूचित किये एक पक्षीय रूप से विभाजन स्कीम तैयार की है जो कि मौके के विपरीत है। जो निरस्त योग्य है। फाईनल डिग्री होना शेष है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नही है। वादी ने दिनांक 31.12.99 को उक्त आराजी को बेच दिया है। उसके बाबजूद दावा प्राथमिक डिग्री किये जाने मे अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी पूर्व मे नही रही है दिनांक 4.5.17 को वकील से सम्पर्क करने व मुकदमे की जानकारी चाहने पर उन्होने कहा कि मुकदमा डिग्री हो गया है अपील करनी होगी। जिस पर अपीलांट ने नकल ली जिससे समस्त प्रकरण की जानकारी हुई। परन्तु धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से सलग्न है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.3.15 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेटान संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे कथन किया कि आराजी ख0न0 820 रकबा 32 ऐयर वाके ग्राम हरिपुरा (मेडी) तहत तहसील वजीरपुर स्थित है। राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो0 नवल खातेदार अभिलिखित है। अपीलांट बालाराम द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे जबाब दावा पेश किया उसमे पक्षकारान के मध्य मीटास एण्ड बाउन्डस से विभाजन किया जाना अभिलिखित किया है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पेश किये है जिस पर कल्लन व रजन के हस्ताक्षर है। दिनांक 31.12.99 की लिखावट पर रेस्पो0 नवल के हस्ताक्षर नही है। जमीन अनुसूचित जाति की है व अनुसूचित जन जाति को विक्रय करना बताया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। अपीलांटान द्वारा रेस्पो0 को बार बार हेरान परेशान करने के कारण ही रेस्पो/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे पुनः वाद पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष अभिभाषको द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर भूमि का विभाजन रिकार्ड के

Scanned by CamScanner

अनुसार एवं मीटस एण्ड बाड़न्डस के आधार पर सहमति दिये जाने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी ख0न0 820 रकबा 32 ऐयर वाके ग्राम हरिपुरा (मेडी) तहत तहसील वजीरपुर को रिकार्ड मे दर्ज पक्षकारान के हिस्से अनुसार मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन के आदेश दिये जाकर नायब तहसीलदार वजीरपुर को 500/–रूपये की फीस पर कमीश्नर नियुक्त कर विभाजन स्कीम मंगवाने के आदेश पारित किये गये है। जो विधि अनुरूप है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि विवादित आराजी रकबा 6 ऐयर को रेस्पो0 संख्या 1 नवल ने रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 को बेचान कर दिया है। रेस्पो0 संख्या 1 का मौके पर कब्जा नही है। फसल खडी हुई है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा बेदखली का नही किया है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा क्लीन हैण्ड से पेश नही किया है। अतः अपील रिमाण्ड की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस व तर्को पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 ग्राम मेडी के ख0न0 820 रकबा 0.32 है0 नवल पि0पून्या जाति चमार हिस्सा 1/6 सा0 देह बालाराम पि0 सोमात्या जाति कोली सा0देह वजीरपुर हिस्सा 5/6 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे उपलब्ध एक लिखावट जिस पर कल्लन व रजन के हस्ताक्षर है वह एक सादा कागज पर लिखावट की गई है। जिस पर रेस्पो0 नवल के हस्ताक्षर नही है ना ही लिखावट रजिस्टर्ड है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान के हिस्से अनुसार मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन के आदेश दिये है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0न0 22/2014 निर्णय व प्राथमिक डिग्री दिनांक 17.3.2015 को यथावत रखा जाता है।

अतः अपील निर्णय आज दिनांक 30.1.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.1.20

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिका
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.27 16:30:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: